संख्या-18/2024/229 /छिहत्तर-1-2024/25सम/2019 / 1337024

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01 मई 2024

विषय:- प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ग्रामीण परिवारों को शुध्द पाइप पेयजल की आपूर्ति दिसम्बर 2024 तक कराया जाना लक्षित है। तदनुसार पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य त्वरित गति से कराये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है। उक्त सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये जाते रहें है।

2- अत: कृपया यह सुनिश्चित करें कि पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता तथा गति बनी रहे, इस हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये:-

i. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश पूर्व में लगातार जारी किये जाते रहे हैं। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई शिथिलता न बरती जाए, सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं, टी.पी.आई. एवं अभियन्तागण द्वारा पूर्व की भाँति कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चत करायी जाए।

ii. पाइप लाइन लेइंग में कई स्थलो पर शिकायत प्राप्त हुई थी। पाइप लाइन समुचित गहराई में न डाले जाने की भी कतिपय शिकायतें आई थी, जिनके बारे में कार्यवाही की जाती रही है। कृपया विशेष रुप से यह सुनिश्चित किया जाए कि पाइप लाइन समुचित गहराई में डाली जाए एवं लीकेज को तत्काल ठीक कराया जाए।

iii. कृपया निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की बनायी रखी जाए। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के विपरीत पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाए।

iv. योजनाओं के अन्तर्गत जहाँ भी नल जल संयोजन दिये गये है वहां पर रेगुलर वाटर सप्लाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

v. विन्ध्य / बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित अधिकांश ग्रामों की कमिशनिंग हो गयी है। कृपया अवशेष ग्रामों की कमिशनिंग कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कमिशनिंग के उपरान्त रेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है। प्रत्येक ग्राम सभा में रेगुलर वाटर सप्लाई किये जाने के निर्देश पूर्व में दिये है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

vi. भू-जल आधारित विभिन्न योजनाओं में, जहां भी सोलर पम्प लग गये हैं, कृपया उक्त योजनाओं के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए।

vii. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल हेतु आपूर्तित जल का पर्याप्त ट्रीटमेंट किया जा रहा है। किसी भी दशा में दूषित जलापूर्ति नहीं की जाए। इस हेतु वाटर सैम्पलिंग लगातार की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

viii. रोड रेस्टोरेशन के बारे में शासन स्तर से पूर्व में लगातार निर्देश दिये जाते रहें है। उक्त के क्रम में निर्माणाधीन योजनाओं हेतु खोदी गयी सड़कों का रेस्टोरेशन तत्काल कराया जाए, ताकि आवागमन बाधित न हो।

ix. कृपया सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक हाउस होल्ड को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो। प्रत्येक ग्राम का 'हर घर जल सर्टिफिकेशन' कराकर पोर्टल पर अपलोड कराया जाए।

x. ऐसी योजनाएं जिन्हें पंचायती राज विभाग को हैण्डओवर करना है उनका हर घर जल सर्टिफिकेशन कराकर हैण्डओवर की कार्यवाही करायी जाए।

3- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान कराये जाने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं, तदनुसार पेयजल की उपलब्धता की समुचित व्यवस्था हर हाल में बनायी रखी जाए।

अतः अनुरोध है कि कृपया उर्पयुक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by अनुराग श्रीवास्तव
Date: 01-05-2024 17:55:21
Reason: Approved

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 18/2024 / 1229 (1)/छिहत्तर-1-2024, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) प्रबन्ध-निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर लगातार अनुशीलन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।
(5) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने हेतु समस्त कार्यदायी संस्था, टी.पी.आई. एवं अन्य एजेन्सियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम 01/05/2024

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।